# न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

**अपील संख्या :— 22/2013**
**आरसीएमएस संख्या :—2013/00094**

उनवान

बृजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामप्रसाद जाति ठाकुर निवासी दौरदा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
........................अपीलांट।

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र रामप्रसाद जाति ठाकुर निवासी दौरदा तह0 रूपवास जिला भरतपुर।
2. हाकिम सिंह (मृतक)

2/1. मुन्नी वेवा हाकिम सिंह

2/2. रामपाल
2/3. श्यामपाल सिंह
2/4. प्रेमपाल सिंह
2/5. विजयपाल सिंह
2/6. गंगा सिंह
} पुत्रगण हाकिम सिंह जाति ठाकुर निवासी दौरदा तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

2/7. गुड्डी पुत्री हाकिम सिंह पत्नि शैलेन्द्र सिंह जाति ठाकुर निवसी पुराना बिजलीघर भरतपुर जिला भरतपुर।

................. रेस्पोंडेंट ।

अपील अन्तर्गत धारा 225 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास दिनांक 24.10.2013 प्र.सं 160/11 उनवानी बृजेन्द्र सिंह बनाम महेन्द्र सिंह।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभिभाषकगण :—

1. वकील अपीलाण्ट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री सुभाष चन्द शर्मा उपस्थित

निर्णय दिनांक—09.05.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय दिनांक 24.10.2013 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा

212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् रिसीवरी विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम दौरदा तहसील रूपवास में प्रार्थी/अपीलाण्ट 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। उक्त विवादित आराजी एक हिन्दू अविभाजित परिवार की आय से अर्जित सम्पत्ति है तथा प्रार्थी/अपीलाण्ट एवं अप्रार्थी/रैस्पो0 एक ही परिवार के सदस्य हैं। प्रार्थी/अपीलाण्ट एक सीधा साधा व्यक्ति है। जबकि अप्रार्थीगण/रैस्पो0 राजकार्य में दक्ष थे व कर्ता खानदान थे। अतः उन्होनें प्रार्थी/अपीलाण्ट की इस स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर तथा प्रार्थी /अपीलाण्ट से छिपाते हुये, बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के राजस्व कर्मचारियों से साज कर विवादित आराजी के इन्द्राज अपने पक्ष में करवा लिये। उक्त गलत इंद्राजो के आधार पर अप्रार्थीगण/रैस्पो0 विवादित आराजी में प्रार्थी/अपीलाण्ट की कब्जे काश्त की भूमि पर दखलअंदाजी करते हैं एवं काश्त करने पर झगडा फसाद करते हैं। अगर अप्रार्थी/रैस्पो0 अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये, तो प्रार्थी/अपीलाण्ट को अपरमित क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजी पर रिसीवर कायम करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यो को दौहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि रैस्पो0 विवादित आराजी में अपीलाण्ट के 1/3 हिस्से को मानने से इंकार हो रहे हैं तथा आराजी में बडे–बडे गड्डे करने की धमकी दे रहे हैं। इसलिये अपीलार्थी के हिस्सा की सुरक्षा हेतु आराजी मुतनाजा पर रिसीवर की नियुक्ति किया जाना कानूनन जरूरी है। अपीलाण्ट एक कमजोर व्यक्ति है जो रैस्पो0 का सामना करने में असमर्थ है। रैस्पो0 झगडालू एवं खूंखार व्यक्ति हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने में कानूनी त्रुटि की है।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि अनुरूप सही है। रिसीवर एक कठोरतम प्रक्रिया है जबकि उक्त प्रकरण में रिसीवर नियुक्त करने का भी कोई विधिसम्मत आधार उपलब्ध नहीं है। विवादित आराजी पर रैस्पों0 का ना तो कब्जा काश्त है एवं ना ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान् में कभी झगडा/मारपीट अथवा पुलिस प्राथमिकी दर्ज हुयी हो। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि विवादित आराजी बाबत् पक्षकारों में कभी भौतिक रूप से झगडा/कहासुनी अथवा प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज हुई हो एवं ना ही विवादित आराजी में अपीलाण्ट पक्ष का विधिक एवं निर्विवाद कब्जा स्पष्ट बताने वाले दस्तावेज यथा खसरा गिरदावरी, मौका रिपोर्ट आदि ही पत्रावली में उपलब्ध हैं। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विवादग्रस्त आराजी इन मीडियो हो गयी है अथवा उनके पिता रामप्रसाद द्वारा क्रय की गई हो। भूमि बाबत् विवाद होने का आशय मौखिक कथनों से नही लगाया जा सकता है। हमारी राय में रिसीवर नियुक्ति की कार्यवाही एक कठोरतम उपाय है जिसे साधारण परिस्थिति में किसी काबिज काश्तकार के विरूद्ध प्रयोग नहीं किया जा सकता है। राजस्व अभिलेख में रैस्पो0 विवादित आराजी पर संवत 2012 से रिकार्डेड खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी दर्ज हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। जिसे हम किसी प्रकार की विधि की मंशा के विपरीत नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6.

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय दिनांक 18.01.2018 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 30.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official